नोटिस

हरियाणा राज्य में स्थित डी.एलएड. कोर्स को संचालित कर रही सभी स्वयंपोषित संस्थाओं के प्राचार्यों को अवगत कराया जाता है कि अभ्यार्थियों को डी.एलएड. वर्ष 2019–21 में प्रवेश देते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए तथा विभागीय नियमों की दृढ़ता से पालना की जाए –

- अभ्यार्थियों से ली गई फीस उसी दिन बैंक में जमा करवाई जाए। अवकाश होने की परिस्थिति में अगले कार्य दिवस को।
- संस्था में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के वेतन का भुगतान चैक द्वारा किया जाए।
- डी.एलएड. की परीक्षा से पूर्व छात्र अध्यापकों के 10+2 के प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड से वैरिफाई करवा लिए जाएँ।
- परीक्षा से पूर्व सभी छात्र अध्यापकों के मूल प्रलेख/प्रमाण पत्र हर अवस्था में लौटा दिए जाएँ तथा पावती प्राप्त कर ली जाए।
- डी.एलएड. कोर्स की फीस विभागीय नियमानुसार प्रवेश के समय ही ली जाए।
- छात्र अध्यापकों के प्रवेश उपरांत उन द्वारा जमा करवाए गए सभी दस्तावेजो की फोटोप्रति आप द्वारा सत्यापित करके परिषद् में भेजें।
- दिनांक 30–09–2019 तक अपनी संस्था में कार्यरत स्टाफ एन.सी.टी.ई. के नये नियमानुसार एप्रूव करवाया जाए। किसी भी स्टाफ सदस्य के संस्था को छोड़कर चले जाने की अवस्था में नियुक्त किए गए स्टाफ सदस्य की एप्रूवल लें।
- डी.एलएड. प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएँ दिनांक 23–08–2019 से आरम्भ की जाए।

निदेशक

1/8/2019

Scanned by CamScanner